



# कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

दिनांक-28.04.2025

**विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना लालपुर पाण्डेयपुर में दुष्कर्म, पॉक्सो व एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को आजीवन कारावास व कुल 30,000/- रु0 का अर्थदण्ड ।**

थाना लालपुर पाण्डेयपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-205/2021 धारा 376 भा0द0वि0 व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट व धारा 3(2)(v) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त 01- आशीष नाऊ पुत्र मंगला प्रसाद निवासी नौवली थाना सुहवल जनपद गाजीपुर को प्रभारी निरीक्षक लालपुर पाण्डेयपुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक- 28.04.2025 को माननीय न्यायालय वि0न्या0 पॉक्सो मेन जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त आशीष नाऊ उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 4 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रु0 के अर्थदंड से तथा धारा 3(2)(v) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में आजीवन कारावास व 20,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।